



2026:AHC:17573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 978/2026

अयान

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता(गण) : सुनील कुमार सरोज

विपक्षी के अधिवक्ता(गण) : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सरोज, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री याज्ञवल्क पाण्डेय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका आवेदक अयान की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 0719/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना लोहियानगर, जनपद मेरठ में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के रूप में दर्शाए गए 06 मामलों का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़-छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 30.7.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में प्रकरणों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया।

समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन को **अनुमति दी जाती है।**

अतः आवेदक **अयान** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति उन तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद के आरंभ के समय, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है तथा इसे प्रकरण के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।